म.प्र उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

फॉर्म– डी

अस्वकृति आदेश

(कृपया नियम 4(2) देखे)

No.RTIA/DR-HCIND/ 192 **Indore, Dated 22.01.2018**

द्वारा,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर (म0प्र0)

प्रति,

श्री गौरव माहेश्वरी,
पिता श्री पुरूषोत्तम माहेश्वरी,
23/ए, गीत कालोनी, बुधवारिया के पास,
उज्जैन (म0प्र0)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में कृपया आपका आवेदन आवक कमांक 143 दिनांक 16/01/2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो कि हमारे आई.डी. संख्या 59/2017-18 दिनांक 17/01/2018 में पंजीकृत है के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :-

1- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 3 (1) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाना चाहिए जबकि आपके द्वारा एक से ज्यादा सूचनाएं मांगी गई हैं।

2- आपके सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)(बी) के अनुसार आवेदन में स्पष्ट और विशिष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं। आपके लंबित प्रकरण के संबंध में संबंधित कोर्ट एवं संबंधित प्रकरण कमांक का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही आपने नियम 1908 के संशोधन का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया है।

3- आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना अधिकार संबंधित आवेदन पत्र से प्रतीत होता है कि यह मामला उज्जैन के किसी न्यायालय से संबंधित है जो कि इस खण्डपीठ के राज्य सूचना अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा आपके आवेदन को निरस्त किया जा रहा है।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलाय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इन्दौर) को अपील कर सकते हैं।

o/c

(राजेश शर्मा) 22.01.18
डिप्टी रजिस्ट्रार /
राज्य लोक सूचना अधिकारी